

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुरुधान पुत्र गादुर, 02. चन्द्रभान पुत्र किशोरी निवासीगण गनेशपुर ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—310 / 20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगतराम पुत्र राम सुमिरन नि0 रज्जनपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—203 / 20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनीता देवी पत्नी स्व0 रामानन्द नि0 दत्त नगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—785 / 20, 02. बेचू लाल पुत्र रामअधार नि0 खिराभा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—786 / 20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत मु0अ0सं0—786 / 20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने लड़की को बहला—फुसलाकर भगा कर ले जाने के आरोपी अभियुक्त नन्हे यादव पुत्र नन्दराम यादव नि0 मझरा गडेरियनपुरवा मुर्तिहा जनपद बहराइच को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0—247 / 20, धारा 363.368 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गया था। जिसमें सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को रगड़गंज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अर्जुन सिंह पुत्र रामकुमार सिंह नि० छोटकापुरवा मौजा महादेवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—७८ / १९, धारा ३(१) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में थाना उमरीबेगमगंज को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ढढियापुल से गिरफतार कर लिया गया । उक्त अभि० मु०अ०सं० ७८ / १९ धारा ३(१)यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा मे वांछित था । अभियुक्त को थाना तरबगंज मे पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफतार कर्ता टीम—

01. थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज रतन कुमार पाण्डेय ।

02 का० आनन्द यादव ।

03. का० मेहरबान अली ।